



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929

No. 1174]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASVINA 5, 1929

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2007

का.आ. 1633(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल), गुवाहाटी (असम) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शैक्षणिक वर्ष, 2007-2008 से, अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल), प्रत्येक में पृथक निगमित निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करती है।

[फा. सं. 52(38)/2007-एनआईपीईआर]

जी. एस. संधु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

• New Delhi, the 6th September, 2007

S.O. 1633(E).—Whereas, the Central Government has decided to establish National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam) and Raebareli (Uttar Pradesh).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby establishes National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal) each as a separate body corporate, from the academic year, 2007-2008.

[F. No. 52(38)/2007-NIPER]

G. S. SANDHU, Jt. Secy.